नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

नोटिकल अनुभाग

विषय – नेवीगेशनल । इंजिन कक्ष निगरानी (क्रमश: विनियम 11/4 या 111/4 के प्रावधानों के अंतर्गत) के भाग बनने वाले रेटिंग का प्रमाणन ।

1. महानिदेशालय को समुद्रकर्मी युनियनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिनमें कहा गया है कि समय-समय पर जारी लागू नौवहन महानिदेशालय आदेशों / परिपत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत अनुकंपा या सेवा अनुभव के आधार पर जिन नाविकों ने भारतीय सतत् उन्मोचन प्रमाणपत्र सह समुद्रकर्मी पहचान प्रलेख (सी.डी.सी) प्राप्त किया है, उन्हें उक्त निगरानी प्रमाणपत्र को जारी किए जाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं ।

2. वर्ष 2009 के एन.टी/ इंजिनियरिंग परिपत्र सं.08 (दि.12.06.2009) की ओर आपका ध्यानाकर्षित किया जाता है, जिसमें, मुख्यत: आधारभूत योग्यता (10 वीं पास) और डैक और इंजिन विभागों के बीच परस्पर परिवर्तन किए जाने जैसी समस्याओं का समाधान किया गया था ।

3. हालांकि एन.टी/ इंजिनियरिंग परिपत्र सं.08/2009 में यह बात लिखी हुई है कि, ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त निगरानी प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने की दिशा में कोई मूलभूत आपत्ति नहीं है, समुद्रकर्मी सेवा को किए जाने के संबंध में मान्यता दिए जाने/ स्वीकार किए जाने का कोई तरीका वर्णित नही था ।

4. इस परिपत्र का अभीष्ट यह है कि निम्नोक्त रूप से समुद्रगामी सेवा को मान्यता प्रदान करने/ स्वीकृति देने की पद्धति को विहित किया जाए ।

   4.1: छ: (6) मास सामान्य व्यापार पोतों पर जो कि ≥500 सकल टन भार या ≤750 किलोवोट मुख्य प्रणोदन मशीनरी वाले हो, इसके साथ निगरानी अनुभव प्रमाणपत्र हो, प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तक और यथा प्रयोजनीय रूप से डैक या इंजिन विभाग के रेटिगों के लिए आर.पी.एस.एल कंपनियों से सत्यापन/ पृष्ठांकन हो ।

   तथा, यदि समुद्रगामी सेवा प्रचालनों (तटवर्ती/ पोतगाह इत्यादि) के निचले क्षेत्र में रही हो और/ या यह >500 सकल टनभार कि आकार के जलयान पर रही हो तो ऐसे जलयानों हेतु मैन्युअल खंड-I के प्रावधानों के अंतर्गत यथाप्रयोजनीय रूप से समुद्रगामी सेवा को घटा (2/3 या ½) दिया जाएगा ।

4.2: प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तक में यदि अनुमोदित प्रशिक्षण दर्ज नहीं किया गया है तो उपर्युक्त 4.1 में अतिरिक्त छः (6) मास ।

4.3: यदि विमान समुद्रकर्मी ने अनुभव के आधार पर भारतीय सी.डी.सी प्राप्त किया है और वो अन्य अपेक्षाओं पर खरा उतरता है (जो कि आर.पी.एस.एल.से ईतर या भारतीय सीडीसी प्रविष्टियों के बिना जलयानों पर उसके द्वारा की जाने वाली समुद्रगामी सेवा को सत्यापित न किया जा सकता हो) और यदि वो चाहे तो उसके पास यह विकल्प होगा कि उसका मूल्यांकन समुद्री वाणिज्य विभाग में किया जाए और उसके बाद समुद्रकर्मी परीक्षा न्यास बोर्ड (बीईएसटी) द्वारा आयोजित परीक्षा दें । तथापि, ऐसे अभ्यर्थी को अधिकतम तीन बार परीक्षा देने की अनुमति होगी।

5. रेटिंग निगरानी (नोटिकल और इंजीनियरिंग रूम) प्रमाणपत्रों की स्थिति में दि.12/06/2009 के एन.टी/ इंजीनियरिंग परिपत्र 8/2009 और दि.21/09/2007 के क्रू अनुभाग के परिपत्र सं.9/2007 में प्रयोजनीय सीमा तक इस परिपत्र में आंशिक आशोधन किया जाता है ।

इसे मास्टर और मेटों तथा इंजीनियरों के मुख्य परीक्षकों के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(कप्तान एस. के शुक्ला)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार